हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 83

शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015/30 श्रावण, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

(राष्ट्रीय गान गाया गया)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

<u>11-01-00 AM</u>

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा।

"इस सत्र में भाग लेने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि इस सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने में मुझे सहयोग दें। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्यों को सदन में नियमों की परिधि में रह कर अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले। मैं सरकार से भी यह अपेक्षा करूंगा कि वह माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर पूर्णतः दें।"

<u>11-04-00 AM</u>

1. **<u>शोकोद्गारः</u>**

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती शुभ्रा मुखर्जी, श्री ज्ञान सिंह नेगी एवं श्री बज़ीर चन्द, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर निम्नलिखित ने शोकोद्गार व्यक्त किए : -

1. श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री ईश्वर दास धीमान
4. श्रीमती विद्या सटोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री
5. श्री यादविन्द्र गोमा ; और

6. माननीय अध्यक्ष महोदय

(दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया)

11-40-00 AM

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य इस प्रकार दियाः-

इस मानसून सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और सत्र अच्छे ढंग से चले इसके लिए मैं आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सत्र की शुरूआत से पहले मुझे दो बातें विशेष रूप से कहनी हैं।

कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में एक बैठक हुई थी जिसमें परम्परा से हटकर मैंने और विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल ने भी हिस्सा लिया और इसमें कुछ बातें चर्चा में आईं। उसके अनुरूप मुझे यह कहना है किः-

1. श्री नैनादेवी के विधायक और उनके सहयोगियों के खिलाफ पिछले दिनों दर्ज़ हुए मसले को प्रदेश सरकार जल्द ही वापिस ले लेगी।

2. पिछले दिनों ऊना की एक जनसभा के दौरान कही गई जिन टिप्पणियों पर भाजपा ने एतराज़ जताया था उन्हें भी मैं पहले ही प्रैस के द्वारा वापिस ले चुका हूँ और इस सदन के माध्यम से भी वापिस लेता हूँ।

उम्मीद है कि अब बात को लम्बा न खींचते हुए हम सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को सम्मान देकर चलाएं।

धन्यावाद।

<u>11-45-00 AM</u>

2. प्रश्नोत्तरः

(1) तारांकित प्रश्न :

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1643 व 1690 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए व सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उतर दिए गए। स्थगित तारांकित प्रश्न 1729, तारांकित प्रश्न संख्या 2168 से 2206 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) अतारांकित प्रश्न :

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 698,768 व 771 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 958 से 969 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12-00-00 PM</u>

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

<u>12-03-00 PM</u>

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर :

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 11);
2. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक -2) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 12);
3. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 22);
4. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 19);
5. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 19);
6. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 13);
7. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसा इटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 20);
8. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15);
9. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन), 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15);
10. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 18);
11. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 18);
12. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 16); और

13. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 23)।

5. **कागज़ात सभा पटल पर :**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभी पटल पर रखी :-

(1) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम समिति का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(2) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा (एअरो स्पोर्टस) संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः-टी0एस0एम0-एफ(6)-3/2001-II दिनांक 21-07-2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22-07-2015 को प्रकाशित।

6. **अध्यादेशः**

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 24.06.2015 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति, उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा-पटल पर रखी।

12-20-00 PM

7. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः**

श्री रविन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"ज़िला कांगड़ा के गांव मानगढ़ (देहरा) के श्री अरूण शर्मा, पर्वतारोही (Trekker) की मृत्यु उपरान्त पहाड़ियों से शव निकालने में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति "

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

12-40-00 PM

8. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :**

श्री महेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

"प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा व बादल फटने से हुई क्षति बारे यह सदन विचार करे।"

(सदन की बैठक अपराह्न 1.00 बजे भोजनावकाश हेतु अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(सदन की बैठक अपराह्न 2.00 बजे भोजनोपरान्त माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः

1. श्री महेश्वर सिंह
2. श्री कर्ण सिंह
3. श्रीमती सरवीन चौधरी

4. डॉ0 राजीव बिन्दल
5. श्री कुलदीप कुमार
6. श्री मन्सा राम, मुख्य संसदीय सचिव
7. श्री इन्द्र सिंह
8. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव
9. श्री वीरेन्द्र कंवर
10. श्री जगजीवन पॉल, मुख्य संसदीय सचिव
11. श्री हंस राज
12. श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव
13. डॉ0 राजीव सैहजल
14. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
15. श्री विनोद कुमार
16. श्री बलबीर सिंह वर्मा
17. श्री विक्रम सिंह जरयाल
18. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
19. श्री सुरेश कुमार

(**अपराह्न 5.00 बजे सदन की बैठक अपराह्न 5.15 बजे तक बढ़ाई गई**)

20. श्री राम कुमार

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि चर्चा का उत्तर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सोमवार दिनांक 24 अगस्त, 2015 को देंगे।

सदन की बैठक अपराह्न 05.10 बजे सोमवार, दिनांक 24 अगस्त, 2015 के अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित हुई ।